निर्देशिका
PROSPECTUS - 2024-25

विद्यावारिधिः(पीएच.डी.)

Vidya-Varidhi (Ph.D.)

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः
(केन्द्रीयविश्वविद्यालयः)
बी–4, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, कटवारियासरायः, नवदेहली–110016

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय–विश्वविद्यालय)
बी–4, कुतुबसांस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
(CENTRAL UNIVERSITY)

B-4, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Ph: 011-46060500/820/503/609, Tele Fax: 011-46060503
Website: www.slbsrsv.ac.in
e-mail:entrance@slbsrsv.ac.in

प्रमुख तिथि

ऑनलाइन-आवेदन तिथि — 18.12.2024 से 10.01.2025 तक

ऑनलाइन-आवेदन-तिथि (विलम्ब शुल्क सहित) — 11.01.2025 से 18.01.2025 तक

विस्तृत जानकारी हेतु बेव साईट पर देखे। — **http://www.slbsrsv.ac.in**

Vidya-Varidhi (Ph.D.)

IMPORTANT DATES

Online Application date — 18.12.2024 to 10.01.2025

Online Application with late fee — 11.01.2025 to 18.01.2025

For more information kindly visit website — **http://www.slbsrsv.ac.in**

विद्यावारिधि-आवेदन शुल्क

- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा।
- वि.वा. प्र.प. आवेदन पत्र शुल्क 1500/- विलम्ब शुल्क के बाद् आवेदन पत्र शुल्क 2500/- होगा। (1000/-विलम्ब शुल्क सहित)
- प्रवेश के समय त्रृटि युक्त आवेदनपत्र स्वीकृत नहीं होगें।

REGISTRATION FEE
(2024-25)

- Application must be filled through **online only.** Filled Application form can be downloaded for own reference.
- Application fee for Rs 1500/- (Rupees Fifteen Hundred only) and after due date the fee will be Rs. 2500/- only. (including late fee of Rs. 1000/-)
- Incorrect application forms will not be entertained for admission in any of the course.

(जमा की गई फीस लौटाई नहीं जाएगी।)

Fee once paid will not be refunded.

Note:- *If there is any change in the dates, the same will be uploaded on the University website.*
All rights reserved with SLBSNS University for cancelling/amending any of the rules/sub-rules contained in this document.

1. **विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय**

भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय ज्ञान परम्परा, संस्कृत एवं संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन की भावना से एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत-शिक्षा-केन्द्र की संकल्पना पूर्ण करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1962 में इस संस्था की स्थापना की गई। 28 अक्टूबर 1963 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अध्यक्षता में इसका पंजीयन किया गया। सन् 1970 से राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के तत्त्वावधान में प्रारम्भ होकर 01.11.1991 में यह संस्था 'मानित विश्वविद्यालय' के रूप में प्रतिष्ठित हुई । तत्पश्चात् अप्रैल, 2020 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उत्कर्ष हुआ। विश्वविद्यालय वर्तमान में विभिन्न शास्त्रीय विषयों में शास्त्री (B.A.), आचार्य (M.A.), तथा बी.ए योग, एम.ए. (योग), एम.ए. (हिन्दू अध्ययन), एम.ए. (हिन्दी), एम.ए. (अंग्रेजी), एम.ए. (समाजशास्त्र) शिक्षाशास्त्री (B.Ed.), शिक्षाचार्य (M.Ed.) एवं विद्यावारिधि (Ph.D.) पाठ्यक्रमों को सञ्चालित कर रहा है। शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्' एवं विद्यावारिधि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग', नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह विश्वविद्यालय 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' का सदस्य है। विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा 'A' ग्रेड प्रदान किया गया है।

2. **पाठ्यक्रम**

विद्यावारिधि (पीएच.डी.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी 2024-25 में अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जायेगा। योग्यताधारक अभ्यर्थी विद्यावारिधि-पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्न-विषयों में शोधकार्य के लिए अर्ह होंगे-

वेद वेदांगपीठ के अंतर्गत विषय	दर्शनशास्त्रपीठ के अंतर्गत विषय	साहित्य एवं संस्कृतिपीठ के अंतर्गत विषय	पुराणविद्या पीठ	शिक्षाशास्त्रपीठ के अंतर्गत	आधुनिक विद्यापीठ
शुक्लयजुर्वेद	**प्राचीनन्याय**	**साहित्य**	**पुराणेतिहास**	**शिक्षाशास्त्र**	**हिन्दी**
धर्मशास्त्र	**नव्यन्याय**	**प्राकृतभाषा**			**हिन्दू अध्ययन**
नव्यव्याकरण	**सर्वदर्शन**				**अंग्रेजी**
प्राचीनव्याकरण	**विशिष्टाद्वैतवेदान्त**				
पौरोहित्य	**मीमांसा**				
सिद्धान्तज्योतिष	**जैनदर्शन**				
फलितज्योतिष					
वास्तुशास्त्र					

सूचना:- 1. अभ्यर्थी को अपनी निर्धारित अर्हता अनुसार ही सम्बन्धित विषय में आवेदन करना होगा।

3. पात्रता

विद्यावारिधि प्रवेश के लिये शैक्षिक योग्यता

१. पम्परागत विषय में विद्यावारिधि

सम्बन्धित विषय में आचार्य उपाधि कम से कम 55% प्रतिशत अंकों अथवा तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हो।

अथवा

एम.ए. (संस्कृत) में सम्बन्धित विषय के समूह का अध्ययन सहित 55% प्रतिशत अंकों अथवा तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हो।

२. शिक्षाशास्त्र विषय में विद्यावारिधि

शिक्षाचार्य (एम.एड.) की उपाधि 55 प्रतिशत अंक या तत्समकक्ष ग्रेड के साथ आचार्य उपाधि/ एम.ए. (संस्कृत) 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण।

३. आधुनिक विषय में विद्यावारिधि

हिन्दू अध्ययन, हिन्दी, अंग्रेजी संबंधित विषय में एम.ए उपाधि कम से कम 55% प्रतिशत अंको अथवा सत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हो।

सूचनाः-अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओ.बी.सी.(नॉन क्रीमी लेयर)/ दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपर-निर्दिष्ट अर्हता में 5% अंकों की छूट देय है। प्रवेश हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

सम्बन्धित आवेदक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नेट/जे.आर.एफ. कोड संख्या के अनुसार संबंधित विषय में ही नेट/ जे.आर.एफ. की परीक्षा उत्तीर्ण हो। शिक्षाशास्त्र-09, संस्कृत-25, जैन-60, प्राकृत-91, (परंपरागत संस्कृत-73 वेद, धार्मशास्त्र, प्राचीन व्याकरण, नव्यव्याकरण पौरोहित्य, फलित ज्योतिष, सिद्वान्त ज्योतिष वास्तुशास्त्र, नव्य न्याय, प्राचीन न्याय सर्वदर्शन, सांख्ययोग, अद्वैतवेदान्त, विशिष्टद्वैतवेदान्त, मीमांसा, साहित्य, पुराणेतिहास, हिन्दू अध्ययन 102, अंग्रेजी-30, हिन्दी-20 ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (पीएच.डी.) उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड प्रक्रिया विनियम, 2022 तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेश के अनुसार विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन.टी.ए द्वारा आयोजित की जाने वाली यू.जी.सी./नेट परीक्षा में प्राप्त परिणाम को 70 प्रतिशत एवं साक्षात्कार में प्राप्त परिणाम को 30 प्रतिशत अंकभार दिया जायेगा।

i. विदेशी अभ्यर्थी, जिन्होंने भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो यू.जी.सी. द्वारा भी मान्य है, से संस्कृत/शिक्षा में अथवा संस्कृत-परम्परागत किसी शाखा में, स्नातकोत्तर उपाधि, न्यूनतम 55% अंको के साथ अथवा उसके समान-श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, वे सभी भारत सरकार के 'विदेश-मंत्रालय' एवं 'शिक्षा मंत्रालय' के माध्यम से इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ii. वे अभ्यर्थी भी योग्य माने जायेंगे, जिन्होंने स्नातकोत्तर-परीक्षा दी हो; किन्तु परीक्षा-परिणाम घोषित न हुआ हो। ऐसे पंजीकरण तिथि से पहले अर्ह स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम अनिवार्य रूप से जमा करना होगा और एक माह के भीतर माईग्रेशन जमा करना **अन्यथा उनका अस्थायी प्रवेश रद्द माना जाएगा।**

4.चयन-विधि

1. विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आनलाईन माध्यम से पंजीकरण कराना होगा।
2. सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले पात्र आवेदकों की संख्या सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3. यू.जी.सी.-नेट जून 2023 एवं दिसम्बर 2023 के नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी उनके प्राप्तांक और विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्ताकों के योग के आधार पर वरीयता क्रम से सम्बन्धित प्रवेश समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
4. आवेदकों को प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र दिनांक 27 एवं 28 मार्च 2024 में प्रदत्त प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रदान किया जायेगा।

5. उपलब्ध स्थान

सम्बद्ध विषय में उपलब्ध स्थान के आधार पर हीआवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा। उपलबध स्थानों के भरे जाने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

सूचना :-यू.जी.सी. के विनियम-2022 के आधार पर अध्यापकों के पद अनुसार शोध मार्गनिर्देशन हेतु निम्नलिखित-स्थान निर्धारित हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	अधिकतम-संख्या
(1)	आचार्य	08
(2)	सहाचार्य	06
(3)	सहायकाचार्य	04

6. प्रवेश शुल्क

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क
1.	विद्यावारिधि (**Ph.D.**)	8000 /-

शुल्क:-विश्वविद्यालय शिक्षण-शुल्क नहीं है, फिर भी प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार अन्य-शुल्क देय होंगे।

विविध व्यय:-विश्वविद्यालय में जो शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित सामान्य विविध-व्यय होगा, वह प्रत्येक छात्र/छात्रा से अतिरिक्त लिया जाएगा। यह सामान्य-शुल्क होगा, जो छात्रों के लिए या उनसे सम्बन्धित-कार्यों पर व्यय होगा।

7.आरक्षण का प्रावधान

विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित-स्थानों में भारत सरकार के नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार से स्थान आरक्षित हैं। यथा-

- अनुसूचित-जाति — 15% प्रतिशत
- अनुसूचित-जनजाति — 7.5% प्रतिशत
- दिव्यांगजन वर्ग (OH/HH/VH) — 5% प्रतिशत (Horizontally reservation)
- अन्य-पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) — 27% प्रतिशत
- आर्थिक पिछड़ा वर्ग — 10% प्रतिशत

अन्य प्रावधान (सामान्य सीटों से)

- कश्मीरी प्रवासी/अप्रवासी — 5% प्रतिशत
- युद्ध/सैनिक संघर्ष में घायल/मृत-व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं — 3% प्रतिशत

(प्रमाणपत्र में हत/आहत अवस्था का प्रमाण सहित स्पष्ट-उल्लेख अपेक्षित है।)

सूचना-

- उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदक अपने आरक्षण-प्रमाणपत्र को स्वप्रमाणित करके आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें; अन्यथा उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आरक्षित–श्रेणी के अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त–स्थानों की पूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी की प्रवेश अर्हता जैसा कि संबंधित विषय में आचार्य अंक प्रतिशत, एम.ए. (संस्कृत) उपाधि धारक अभ्यर्थी द्वारा चयनित विषयों तथा अध्ययन विषय आदि की समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तदुपरांत ही योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु बुलाया जाएगा।

(ब.) आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्र

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/एम.आर.ओ.।

(ii) दिव्यांग-प्रत्याशियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य-अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
(न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही विचार किया जायेगा।)

(iii) सशस्त्र-सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए सचिव थल/नौसेना/वायुसेना बोर्ड।

(iv) कश्मीरी प्रवासियों के लिए– उपायुक्त / सक्षम अधिकारी (कार्यालय की मोहर सहित)

08. अत्यावश्यक

1. अर्ह-अभ्यर्थी आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.slbsrsv.ac.in** द्वारा आनलॉइन माध्यम से कर सकते हैं।
2. आनलॉइन आवेदनपत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
3. आनलॉइन-आवेदन पत्र में दी गई सूचना का सत्यापन साक्षात्कार और प्रवेश के समय होगा।
4. किसी भी प्रकार की असत्य-सूचना प्रमाणित होने पर नियमानुसार कानूनी-कार्यवाही की जाएगी। आनलॉइन-आवेदन पत्र पर अपनी स्पष्ट और अद्यतन-फोटो तिथि सहित अपलोड करें। **तीन माह से पहले खिंचवाया गया फोटो स्वीकृत नहीं किया जाएगा।**
5. अन्तिम-तिथि के बाद आनलॉइन-आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

09. ध्यातव्य बिन्दु

1. केवल अर्ह-अभ्यर्थियों को प्रवेश योग्यताक्रम के अनुसार दिया जाएगा।
2. विद्यावारिधि-पाठ्यक्रम यू.जी.सी. द्वारा मान्यता-प्राप्त है। विश्वविद्यालय में निर्धारित स्थानों के अनुसार वरीयता-क्रम से ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. प्रवेशार्हता की जांच एवं आरक्षणादि का निर्णय विश्वविद्यालय के अधीन है।
4. प्रवेश के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम होगा।
5. न्यायिक विषयों में दिल्ली/नई दिल्ली उच्च-न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होगा।
6. यदि किसी के छायाचित्र या अन्य किसी भी प्रकार की विषमता पायी जाती है और सन्देह होता है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा से निलम्बन/कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. नोट– विद्यावारिधि में प्रवेश के संबंध में शिक्षा मंत्रालय / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के समय यथावत लागू किया जाएगा।
8. किसी भी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वोपरि मान्य होगा।

आवेदकों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश को आयोग की वेवसाईट पर देखने का कष्ट करें।

// श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्व विद्यालय)
बी—4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली—110016

Ph: 011-46060500/820/503/609, Tele Fax: 011-46060503
Website: www.slbsrsv.ac.in

अधिसूचना

विद्यावारिधि (Ph.D) प्रवेश 2024-25

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024–25 में विद्यावारिधि (Ph.D) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आनलाईन माध्यन से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जा रहे है। प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबवाईट www.slbsrsv.ac.in पर देखने का कष्ट करें।

प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी

ऑनलाइन–आवेदनहेतु आरम्भ तिथि	18.12.2024
ऑनलाइन–आवेदन हेतु अन्तिम तिथि	10.01.2025
विलम्ब शुल्क सहित	11.01.2025 से 18.01.2025

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)